

# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांक: 213/सो.आ.नि.-318(I)/2014

दिनांक: 10 जुलाई, 2014

प्रेषक,

**निदेशक,**

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

**समस्त जिला विकास अधिकारी,**

उत्तर प्रदेश।

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम छमाही में सोशल आडिट के प्रारंभ में सोशल आडिट टीम द्वारा भरे जाने हेतु प्रारूप सो.आ.टी.-1, सो.आ.टी.-2 एवं सो.आ.टी.-3 के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में इस निदेशालय द्वारा जारी सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार सोशल आडिट इसी माह प्रारंभ हो जाएगा। सोशल आडिट टीमों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ पूर्णतः तथ्यपरक एवं सही-सही (Accurate) हों, इस हेतु भारत सरकार के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित 3 प्रारूप निदेशालय द्वारा विकसित किए गए हैं:-

**(क) सो०आ०टी०-1, क्रय की गई सामग्री एवं उसके उपयोग के संकलन का प्रारूप:-**

इस प्रारूप पर ग्राम पंचायत/कार्यदाई संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई स्टॉकपंजी/वाउचरों के अनुसार टीमों द्वारा क्रमवार बिल का दिनांक, क्रय की गई सामग्री का नाम, आपूर्तिकर्ता का विवरण, मात्रा/भार/इकाई, प्रति इकाई दर तथा कुल धनराशि का अंकन किया जाएगा और कॉलम-8 में प्रयुक्त की गई सामग्री की मात्रा/भार/इकाई का उल्लेख किया जाए। प्रारूप सो.आ.टी.-1 के क्रमांक 2-8 पर अंकित की गई सूचना की विवेचना करते हुए टीम द्वारा कॉलम-9 में अपनी टिप्पणी एवं निष्कर्ष अंकित किया जाएगा। प्रारूप में 12 पंक्तियाँ हैं। प्रारूप में वर्ष 2013-14 में क्रय की गई समस्त सामग्री का विवरण लिखा जाना है, अतः पंक्तियाँ कम पड़ने पर अतिरिक्त पन्ना लगाकर पूर्ण सूचना तैयार की जाए।

**(ख) सो०आ०टी०-2, कार्यस्थल निरीक्षण का प्रारूप:-**

टीमों द्वारा सोशल आडिट के दौरान अभिलेखों के परीक्षण के साथ ही कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है इस कार्य को सक्षम बनाने की दृष्टि से प्रारूप सो.आ.टी.-2 विकसित किया गया है। इस प्रारूप के स्तंभ 1-10 तक की सूचना तकनीकी आगणन एवं मापपुस्तिका के आधार पर भरी जाएगी। तदोपरान्त कालम 11-14 तक की सूचना, कार्य की स्थिति तथा उसकी लम्बाई, चौड़ाई और उँचाई का माप करते हुए यदि विचलन हो तो उसे टीम द्वारा अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार सृजित सम्पत्ति की गुणवत्ता के संबंध में भी टीम द्वारा भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त टिप्पणी की जाएगी। इस प्रारूप में भी 12 पंक्तियाँ हैं। प्रारूप में वर्ष 2013-14 में कराए गए समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाना है, अतः पंक्तियाँ कम पड़ने पर अतिरिक्त पन्ना लगाकर सभी कार्यों का सत्यापन किया जाए।


**(ग) सो0आ0टी0-3, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन पर श्रमिकों के अभिमत का प्रारूप:-**

सो0आ0टी0-3 पर ग्राम पंचायत के श्रमिक लाभार्थियों का अभिमत एवं फीडबैक उनसे संपर्क करते हुए टीम द्वारा लिखा जाएगा। इस प्रारूप पर सामान्यतया उन बिन्दुओं पर फीडबैक की अपेक्षा नहीं है जिन्हें सोशल आडिट के बिन्दु/ड्राफ्ट प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। इस प्रारूप पर सोशल आडिट टीम द्वारा कतिपय श्रमिकों से संपर्क कर मनरेगा योजना के बारे में उनके सामान्य अभिमत का उल्लेख करना है। जैसे जो कार्य हो रहे हैं, उतना उपयोगी न होना अथवा कोई उपयोगी कार्य जिसे योजना में शामिल होना चाहिए आदि। इस प्रारूप में अधिकतम 12 लोगों का अभिमत लेना है। अतिरिक्त पन्ना जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

2. चूँकि वर्तमान सोशल आडिट टीमों को सोशल आडिट की विधा में पर्याप्त अनुभव नहीं है, अतः यह आवश्यक होगा कि इन परिपत्रों पर विश्वसनीय सूचना अंकित करने के लिए आपके तथा DSAC के मार्गदर्शन में संबंधित BSAC द्वारा टीमों को पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाए एवं BSAC सोशल आडिट के दौरान टीमों के साथ यथा संभव बने रहें।

अनुरोध है कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु DSAC तथा BSACs को निर्देशित करने का कष्ट करें।

**संलग्नक:- यथोपरि।**

भवदीय,  
  
(शंकर सिंह)  
निदेशक।

**पत्रांक:- 213/सो.आ.नि.-318(I)/2014, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

  
(शंकर सिंह)  
निदेशक।







मनरेगा योजना के क्रियान्वयन पर श्रमिकों के अभिमत का प्रारूप

ग्राम पंचायत का नाम :

ब्लाक :

जिला :

क्रम सं०	श्रमिक का नाम	जॉब कार्ड सं०	सम्पर्क सूत्र (मोबाइल नं०)	मजदूरों की प्रतिपुष्टि (फीडबैक) की प्रकृति	उत्तरदाई अधिकारी	घूस या दुर्विनियोग की धनराशि, यदि कोई हो (रु०)	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							